(c) whether, in the wake of the observations made by the Central Administrative Tribunal, Government have made any assessment to know the irregularities, if any, with regard to the admission in the various Agricultural Universities in the country and the declining teaching standards in these Universities; and

(d) if so, what is the outcome thereof stating the steps contemplated by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (c) Sir, The Tribunal has only advised IARI to suitably *amend post-graduate Calendar/Information* Bulletin relating to prescribed qualifications for admission to Biochemistry discipline.

(d) In accordance with the directions of the Tribunal ,the qualifications for admission to M.Ss and Ph.D Programmes in different disciplines, including Bio-chemistry, have been revised, so as to make them very specific.

The Academic Council which is the supreme body for taking policy decisions with regard to post-graduate education reviews the admission policy for each academic year and formulates admission procedure after detailed deliberations in an effort to constantly improve the academic standards.

दालों का उत्पादन

1986. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दालों की पैदावार बढ़ाने के प्रयास में अभी तक वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) : (क) और (ख) जी, हां । इसके कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) मौसम की खराबी के कारण दालों पर बुरा असर पड़ना ।

(2) आनुवंशिक सफलता न मिलना जैसा कि चावल और गेहूं के मामले में है ।

(3) कृमियों और रोगों के कारण दलहन फसलों पर बुरा असर पड़ना ।

(4) दलहनों का उत्पादन करने वाले सामान्य क्षेत्रों में सिंचाई के आगमन के पश्चात अच्छी भूमि के स्थान पर निम्न और सीमान्त भूमि का उपयोग करना ।

बच्चों की दुर्दशा

1987. **श्री कपिल वर्मा :**
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के लगभग 30 करोड़ बच्चों में से 10 करोड़ बच्चे आवारा, फुटपाथी तथा बाल श्रमिक के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं ; यदि हां, तो दिल्ली में इस प्रकार के आवारा, निराश्रित बच्चों एवं अनाथालयों की संख्या कितनी और दिल्ली में इस प्रकार के अनाथालयों में कितने बच्चे रहते हैं ;

(ख) देश में अनाथालय जैसी संस्थाओं तथा उनमें रहने वाले बच्चों की संख्या कितनी-कित ी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि घर से भागने वाले बालक तथा बालिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अपने घरों से भागने वाले बच्चों की संख्या कितनी है ; और

(घ) सरकार घरों से बच्चों के भागने की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) देश में आवारा, फुटपाथी जीवन व्यतीत कर रहे अथवा श्रमिक रूप में कार्यरत बच्चों के कोई ठोस आकलन उपलब्ध नहीं हैं । दिल्ली में ऐसे बच्चों की कुल संख्या भी ज्ञात नहीं है । तथापि, दिल्ली में 27 स्वैच्छिक संगठन बाल गृह चला रहे हैं, जिनमें इस समय 2991 निराश्रित, अनाथ तथा आवारा बच्चों का अनुरक्षण किया जा रहा है ।

(ख) संपूर्ण देश में इस स्वरूप के अनाथालयों तथा संस्थाओं की कुल संख्या ज्ञात नहीं है । क्योंकि ये संस्थाएं राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों तथा निजी निकायों और व्यक्तियों द्वारा सरकारी सहायता या उसके बिना चलाई जाती है । तथापि, देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की हमारी योजना के अंतर्गत लगभग 46,000 अनाथ तथा निराश्रित बच्चों को 900 से अधिक संस्थाओं के माध्यम से शामिल किया गया है ।

(ग) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अपने घरों से भागने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है । उनकी सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	लड़कियां	लड़के	कुल
1987–88	290	1314	1604
1988–89	345	1321	1666
1989–90	426	1333	1759

गरीबी, उपेक्षा, निराश्रय, वंचन, आदि बच्चों के अपने घरों से भागने के मुख्य कारणों में से है ।

(घ) गरीबी उन्मूलन के सामाजार्थिक कार्यक्रमों के अलावा उपेक्षित, अलाभान्वित तथा कमजोर वर्गों की देखभाल तथा संरक्षण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि बच्चों को उनके घर से भगाने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को रोका जा सके ।

दिल्ली में विलासितापूर्ण भवनों के निर्माण के लिए काले धन का उपयोग

1988. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काले धन का एक बड़ा भाग निजी भव्य भवनों के निर्माण पर खर्च किया जाता है; यदि हां, तो क्या सरकार भवन निर्माण पर होने वाले खर्च तथा मकान की जमीन के क्षेत्रफल की अधिकतम सीमा निश्चित करने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक परिवार एक मकान के सिद्धांत को क्रियान्वित करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या सरकार भवनों के लिए उपलब्ध भूमि की कमी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेने का विचार रखती है कि भविष्य में एम०आई०जी० फ्लैट से बड़े मकान बनाने की अनुमति न दी जाए ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) विलासितापूर्ण